रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072026-274182
CG-DL-E-06072026-274182

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3493] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 6, 2026/आषाढ 15, 1948
No. 3493] NEW DELHI, MONDAY, JULY 6, 2026/ASHADHA 15, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2026

सं 76 /2026-सीबीडीटी

का.आ. 3654(अ).— आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 45(4)(ख) के अनुपालन में, केंद्र सरकार, एतद्द्वारा, इण्डियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्युमन सेटेलमेंट्स, बैंगलोर, (पैन: AACCI0088F) को 2025 के उक्त अधिनियम की धारा 45(3)(क) (ii) और आयकर नियमावली 2026 के नियम 32 और 34 के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थान की श्रेणी के तहत सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना इण्डियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्युमन सेटेलमेंट्स, बैंगलोर पर कर वर्ष 2026-2027 से 2030-2031 तक के लिए लागू होगी, कि यह:

(i) आयकर नियम, 2026 के नियम 34 में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करेगा;

(ii) आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 45 (4) (क) के अंतर्गत प्रत्येक कर वर्ष के लिए फार्म सं.15 विवरण तैयार करेगा और उसे आयकर नियमावली, 2026 के नियम 31 के अनुसार, जिस वर्ष दान प्राप्त होता है उसके तत्काल बाद के कर वर्ष की 31 मई को या उसके पहले आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उसके द्वारा प्रधिकृत किसी व्यक्ति को सौंपेगा।

(iii) दाता को आयकर नियमावली, 2026 के नियम 31 के अनुसार प्रपत्र संख्या 16 में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें दान की राशि का उल्लेख किया गया होगा ।

[फा. सं. 203/46/2025/आईटीए-II]

इंदु बाला, उप सचिव